न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/04/2021	2021/102	08.10.2011	30.11.2021

01–रामजीलाल पुत्र स्व0सूरजाराम जाति गुर्जर उम्र 65 साल
02–जयराम पुत्र स्व0सूरजा राम जाति गुर्जर उम्र 55 साल
03–जगदीश पुत्र स्व0सूरजा राम जाति गुर्जर उम्र 50 साल
04–किशन पुत्र स्व0मंगला जाति गुर्जर उम्र 50 साल
05–रामप्रताप पुत्र स्व0हरदेव जाति गुर्जर उम्र 75 साल
06–पांचूराम पुत्र नाथू जाति गुर्जर उम्र 80 साल।

–निगरानीकर्ता

बनाम

01–श्योसहाय पुत्र सोना जाति गुर्जर उम्र 50 साल
02–लीला पुत्र सोना जाति गुर्जर उम्र 40 साल
03–हीरा पुत्र सोना जाति गुर्जर उम्र 30 साल निवासीगण
ग्राम काला खोरा तहसील थानागाजी(अलवर)
04–भू आवंटन/विनियमन सलाहकार समिमि थानागाजी जरिये अध्यक्ष
उपखण्ड अधिकारी अलवर।

–अनिगरानीकार

निगरानी विरूद्ध भू आवंटन सलाहकार समिति अलवर जरिये अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी अलवर आदेश वाके ग्राम भूडियावास तहसील थानागाजी जिला अलवर दिनांक 31.05.89

उपस्थितः–
01–श्री लक्ष्मण सिंह पोसवाल –वकील निगरानीकर्ता
02–श्री राजीव सिद्ध –अनिगरानीकार

निर्णय

वकील निगरानीकार ने अध्यक्ष भू आवंटन सलाहकार समिति एंव उपखण्ड अधिकारी अलवर के आदेश दिनांक 31.05.89 वाके ग्राम भूडियावास तहसील थानागाजी के विरूद्ध निगरानी पेश की। निगरानी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर साबिक 411 रकबा 03 बीघा जिसका हाल खसरा नम्बर 482 रकबा 0–76 है0 बना है, वाके ग्राम भूडियावास हाल ग्राम कालाखोरा तहसील थानागाजी जिला अलवर में स्थित है, जिस पर प्रार्थी का कब्जा कदीमी से प्रार्थीगणों के बुजुर्गो के समय से यानि करीब सैकडों सालों चला

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)

आ रहा है। जिसमें करीब 1 बीघा में प्रार्थी संख्या–02 जयराम ने अपने रिहायश हेतु 8 पक्के कमरे, 2 बैठक पक्की, 1 बरामदा रसोई बना रखी है। प्रार्थी जयराम ने इन मकानों में बिजली का कनेक्शन भी ले रखा है। जिसे करीब 1 साल हो गया है यानि सन् 2014 में विधुत कनेक्शन अपने नाम यानि जयराम के नाम लिया था, एक पानी की टंकी बना रखी है, छाया दाय वृक्ष लगा रखे है। इन मकानों में प्रार्थी संख्या 2 जयराम अपने परिवार सहित रिहायश करता आ रहा है तथा पशु मवेशी वगैरहा बांधता है। पहले कच्चे घर थे उसके बाद करीब 30–32 साल पूर्व पक्के मकानात कमरे आदि बनाये थे। यह पक्का निर्माण समस्त कमरे आदि वक्त आवंटन से पूर्व बने हुए है। जिनमें जयराम परिवार सहित रिहायश करता चला आ रहा है तथा प्रत्येक प्रकार के उपयोग करता चला आ रहा है एवं बाकी आराजी पर 2 बीघा यानि 50 ऐयर पर प्रार्थीगण का अपने बुजुर्गो के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है। जब तक बुजुर्ग जीवित रहे वो काश्त करते रहे उनके स्वर्गवास के बाद प्रार्थीगण काश्त करते चले आ रहे है। आज भी विवादित उक्त आराजी पर प्रार्थीगण का उपरोक्तानुसार कब्जा मालिकाना मौजूद है। अप्रार्थी संख्या 1 लगा.3 का कोई कब्जा काश्त नहीं है और ना कभी भी रहा। ऐसी स्थिति में भू आवंटन सलाहकार समिति का आलौच्य आदेश पट्टा निरस्त होने योग्य है। दिनांक 15.11.2015 ने प्रार्थीगण को बेदखल करने की कोशिश की और कहा कि यह आराजी हमे आवंटित हो गई है, इसलिये इस पर से अपना कब्जा हटा लो वरना तुम्हारे खिलाफ बेदखली की कार्यवाही करेगें और जबरन बेदखल कर कब्जा करेगें तब प्रार्थीगण ने पटवारी हल्का से संपर्क किया तो उसने बताया कि विवादित आराजी अप्रार्थी संख्या 01 लगा. 03 को दिनांक 31.05.89 को आवंटित हो गई है, जिस पर प्रार्थीगण ने तहसील थानागाजी में उक्त आवंटन के बारे में जानकारी करवाई तो आवंटन की फाईल ही नहीं मिली फिर उसके बाद एसडीओ कार्यालय थानागाजी में जानकारी कराई तों वहां पर जानकारी नहीं मिली फिर एसडीओ अलवर के यहां तलाश करवाई गई और फाईल मिलने पर नकल के लिये प्रार्थना पत्र पेश कर नकलें निकलवाई और जिन्हें अपने वकील साहब को दिखाया तो उन्होने कहा कि उक्त आवंटन/पट्टे को निरस्त कराने की कार्यवाही प्रार्थना पत्र धारा 14(4)आवंटन नियम के तहत कलक्टर साहब के यहां पेश करनी पड़ेगी। जिस पर प्रार्थीगण ने खर्चे का इंतजाम किया और यह प्रार्थना पत्र तैयार कराकर आज बिना देरी के पेश किया जा रहा है। विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में गोचर(चारागाह)दर्ज है, ऐसी आराज़ी धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत काबिल आवंटन नहीं है यानि ऐसी भूमि कार्य काश्त के लिये आवंटन नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। अप्रार्थी संख्या 01 लगा. 03 भूमिहीन नहीं है, उनके पिता के पास खातेदारी की 30 बीघा आराजी है। ऐसी स्थिति में भी अप्रार्थी संख्या 01 लगा. 03 आराजी को आवंटन कराने के पात्र नहीं थे, ऐसी स्थिति में आलोच्य आवंटन आदेश व पट्टा निरस्त होने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 का विवादित आराजी पर मौंके पर कब्जा काश्त नहीं होने के कारण उनके नाम खातेदार किए जाने का नामान्तकरण संख्या 279 पटवारी हल्का से साज बाज होकर दर्ज करवाया था जिसे स्वीकृति हेतु नायब तहसीलदार के समक्ष पेश किया था, जिसे नामान्तकरण को नायब तहसीलदार दिनांक 19.07.93 को खारिज कर दिया क्योंकि मौंके पर अप्रार्थी संख्या 01 लगा. 03 का कब्जा काश्त नहीं था। ऐसी स्थिति में जब आवंटीगण के नाम खातेदारी बाबत नामान्तकरण भी खारिज किया जा चुका है। जिससे स्पष्ट रूप से साबित होता है कि आवंटित रकबे पर आवंटियों का कोई कब्जा काश्त कभी भी नहीं रहा। ऐसी स्थिति में आवंटन आदेश मय पट्टा निरस्त होने योग्य है। आवंटन अधिकारी ने 1970 के आवंटन नियम 8,9,10,11 की पालना नहीं की है जो कि आवश्यक व अनिवार्य होता है, ऐसी स्थिति में उक्त आवंटन निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भू आवंटन सलाहकार समिति थानागाजी (अलवर) की आज्ञा दिनांक 31.05.89 जिसके द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 लगा. 03 को आराजी खसरा नम्बर साबिक 411 मिन रकबा 03 बीघा जिसका हाल खसरा नम्बर 482 रकबा 0–76 है0 बना है, वाके ग्राम भूडियावास हाल–ग्राम कालाखोरा तहसील थानागाजी अलवर राज0

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)

का आवंटन किया गया है। वह आवंटन तथा उसके आधार पर जारी आवंटन पट्टा दिनांक 31.05.89 मंसूख (निरस्त)किए जाने वो प्रार्थीगण के हक में उक्त आराजी विनियमन/आवंटन किए जाने का अनुतोष चाहा।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित आए। उभय पक्ष की बहस सुनी।

वकील निगरानीकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र 14(4) का जवाब नहीं दिया है। अप्रार्थीगण के जवाब नहीं देने की स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार मान ली जाए। प्रश्नगत आराजी बडा रकबा है आवंटन आदेश में यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त खसरे में से अप्रार्थीगण को किस तरफ आवंटन हुआ है। विवादित आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा था तो कब्जे के आधार पर प्रार्थीगण को ही नियमन किया जाना चाहिये था। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन से संबंधित किसी प्रकार की उद्घोषणा जारी नहीं की गई। अप्रार्थीगण ने माना है कि (सिविल कोर्ट में विचाराधीन प्रकरण में उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब के बिन्दु संख्या–02) में उनके मकान विवादित खसरा नम्बर में ही है। अप्रार्थी को व अलॉटमेन्ट की जानकारी होते ही तत्काल प्रार्थना पत्र 14(4)न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है इसलिये मियाद का कोई प्रश्न ही नहीं है। विवादित आराजी चारागाह भूमि है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया आवंटन मौंके के विपरीत किया है क्योंकि मौंके पर प्रश्नगत आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा था।

विद्वान वकील गैर निगरानीकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थीगण को प्रश्नगत आराजी का दिनांक 31.05.1989 को आवंटन किया गया था। प्रार्थीगण द्वारा 30 वर्ष पश्चात अलॉटमेन्ट के विरूद्ध आपत्ति पेश की है जिसका कोई कारण अंकित नहीं किया है। अलॉटमेन्ट के पश्चात जमाबंदी खसरा गिरदावरी आदि में अप्रार्थीगण के नाम का इन्द्राज है। वर्ष 1993 में इंतकाल स्वीकृति आदेश के अभाव में खारिज किया था। उसके पश्चात् वर्ष 2001 में इंतकाल स्वीकार हुआ है। यदि विवादित आराजी चारागाह है तो नियम प्रार्थी पर भी लागू होते है क्योंकि इनके मकान बने हुए है इन्होने चारागाह भूमि पर मकान कैसे बनाये प्रार्थी शुद्धहस्त से न्यायालय में नहीं आया है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण को हुए आवंटन को इस आधार पर निरस्त कराने का अनुतोष चाहा है कि अप्रार्थीगण को आवंटन न्यायिक प्रक्रिया, विधि एवं तथ्यों तथा मौंके व कब्जे के खिलाफ किया है।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत आराजी का अप्रार्थीगण को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 31.05.1989 को आंवटन किया गया। इंतकाल संख्या 221 दिनांक 25.5.90 रिकार्ड में गैर खातेदार दर्ज किया गया। इंतकाल संख्या 422 दिनांक 28.12.2001 ग्राम भूडियावास द्वारा अप्रार्थीगण को गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज किया गया। अप्रार्थीगण जमाबंदी संवत् 2069–72 ग्राम कालाखोरा तहसील थानागाजी के ख.नं. 482 पर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय एसडीओ थानागाजी के यहां प्रश्नगत आराजी के सम्बन्ध में एक वाद संख्या 1/214 बउनवान श्योसहाय बनाम रामजीलाल अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट दायर किया। उक्त वाद न्यायालय एसडीओ थानागाजी द्वारा दिनांक 12.6.2010 को स्वीकार किया गया। प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई लिखित/मौखिक साक्ष्य व दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे उनके कथन की पुष्टि हो।

वकील निगरानीकार ने अपनी बहस की ताईद में आर.बी.जे. 2020 पेज 650, आर.बी.जे.2018, 295 आर.आर.टी.2013(1)पेज 192, आर.आर.डी 2005 पेज 21, आर.आर.डी 1989 पेज 23, ए.आई.आर. 1960 (एस.सी.) पेज 100 (सी) एवं वकील गैर निगरानीकार ने आर.आर.डी. 2020 पेज 304, आर.आर.डी 2018 पेज 479, डी.एन.जे.2011(2)पेज 709, आर.आर.डी.2007 पेज

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

161, आर.आर.डी 2008 पेज 454, डी.एन.जे.2008 पेज 1679 सम्मानीय न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये।

वकील उभय पक्ष की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एंव सम्मानीय न्यायालयों के न्यायिक दृष्टान्तों पर विचार किया। वकील अप्रार्थी द्वारा आर.आर.डी. 14.9,10.2020 पेज 308 गोदू बनाम रामप्रसाद व अन्य–72 अपील नं.8524/भीलवाड़ा/2007 निर्णय दिनांक 20.01.2020 माननीय राजस्व मण्डल राज0अजमेर द्वारा प्रतिपादित "14(4)**The collector shall have power to cancel any allotment made by a sub divisional officer or a tehsildar under the rules repealed by rule 21 of the rules either suo-moto or on an application of any person in case the allotment has been secured through fraud or mis representation or has been made against rules or in case the allottee has committed breach of any of the conditions of allotment.provided that no such order of the prejudice of any person shall be passed whitout giving such person an opportunity of being heard.** " सम्मानीय न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

उपर्युक्त नियमानुसार आवंटन तभी खारिज किया जा सकता है जब आवंटन छल, मिथ्या वर्णन व कपटपूर्वक किया गया हो। प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध होता हो कि यह आवंटन कपटपूर्वक एवं मिथ्या तथ्यों के आधार पर कराया गया हो। इसके अतिरिक्त निगरानीकार का यह कथन कि उसका कब्जा सैंकडों सालों से चला आ रहा है। लेकिन इस सम्बन्ध में उसने कोई दस्तावेज व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। अतः निगरानी में ऐसे कोई ठोस तथ्य विद्यमान नहीं है, जिससे निगरानी स्वीकार की जा सके और न ही विधिक बिन्दुओ का कोई बल है। उपर्युक्त विवेचन के अनुसार हस्तगत निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः माननीय राजस्व मण्डल राज0अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्त की रोशनी में निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। तहत न्यायालय का रिकार्ड मय निर्णय प्रति विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल के कम होकर नम्बर से कम हो। वाद पूर्ति जमा लेख भण्डार हो।

(सकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(प्रथम) अलवर

निर्णय आज दिनांक 30.11.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
(प्रथम) अलवर